संख्या:45 / 2015 / 145 / 35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:05 फरवरी,2015

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बरेली मुख्यालय में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू. 211.33 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है), की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 105.66 (रूपये एक करोड़ पॉच लाख छाछठ हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिये कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	निर्माणाधीन बंगलिया चैम्बर्स के प्रथम तल के ऊपर वकीलो के बैठने हेतु चैम्बर्स का निर्माण	61.25	30.63
2	बड़ावकालत खना परिसर में रवीन्द्र भारती बार भवन के पीछे रिक्त भूमि पर वकीलो के बैठने हेतु चैम्बर्स का निर्माण	84.33	42.16
3	बड़ावकालत खना परिसर में कचहेरी डाकघर के आगे रिक्त भूमि पर वकीलो के बैठने हेतु चैम्बर्स का निर्माण	65.75	32.87
	योग	**211.33**	**105.66**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significanlty different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

5- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

6- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

11- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

12- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा । कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

13- कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका / बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

14- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

15- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी/ कार्यदायी संस्था का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

16- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

17- चैम्बर्स निर्माण तथा अन्य सुसंगत व्यवस्थाओं से संबंधित न्याय अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-1199/सात-न्याय-7-04-28बी.एस./2004 दिनॉक 06 सितम्बर, 2004 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व नि:शुल्क भूमि की उपलब्धता तथा नियमानुसार राज्य के पक्ष में उसका हस्तांतरण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

19- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60- अन्य भवन -800-अन्य व्यय -03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/ वादकारी के लिये स्थायी ढ़ॉचे के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:45/2015/145(1)/35-4-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण / न्याय विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- जनपद न्यायाधीश, बरेली।
7- मण्डलायुक्त, बरेली।
8- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
9- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10-कोषाधिकारी, बरेली।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव